

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-168) अलेसे-1/

दिनांक:- 18/11/2015

आदेश संख्या: 130/2015-16

श्री रामकुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I कार्यालय- उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर परिक्षेत्र चुरु जिनकी जन्मतिथि 15.01.1957 (लिंक नं.-567) व राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 01.07.1982 है, उनके आवेदन पत्र दिनांक 20.10.2015 के द्वारा राजस्थान सेवा नियम 50 (1) के तहत दिनांक 01.02.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाही गई है। अतः इस विभाग द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश क्रमांक 125/2015-16 दिनांक 06.11.2015 के अतिक्रमण में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 50 (1) के अन्तर्गत श्री रामकुमार सैनी की दिनांक 01.02.2016 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की जाती है।

वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I के विरुद्ध आज तक :-

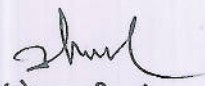
1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-168) अलेसे-1/10238-10244 दिनांक:- 18/11/2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर
2. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।
3. उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर परिक्षेत्र चुरु।
4. श्री रामकुमार सैनी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-I, कार्यालय उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर परिक्षेत्र चुरु
5. उपनिदेशक (ए.सी.पी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एंट्री करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट।


(कै.एम.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)